

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 जुलाई 2017 — आषाढ 14, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-40/2016/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 23 में, शब्द “एक वर्ष तक विधिमान्य रहेगी” के स्थान पर, शब्द “तीन वर्ष तक विधिमान्य रहेगी” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. नियम 49 में, के उप-नियम (1) में, सारणी 4 में, सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2.	स्वास्थ्य सुविधाएं	स्वास्थ्य केन्द्र	प्रत्येक 16000 की जनसंख्या के लिये 1	1.0 हेक्टेयर, आवासीय कर्मचारी आवास गृहों सहित.
		सामान्य चिकित्सालय	प्रत्येक 80000 की जनसंख्या के लिये 1	4.0 हेक्टेयर, सहायक सामग्री तथा कर्मचारी आवास गृहों सहित 200 बिस्तरों के लिये.
		विशेषज्ञ चिकित्सालय	प्रत्येक 4000 की जनसंख्या के लिये 1	1.0 हेक्टेयर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		नर्सिंग होम	प्रत्येक 16000 की जनसंख्या के लिये 1	0.06 हेक्टेयर
		क्लीनिक	प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के लिये 1	0.0018 हेक्टेयर”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-40/2016/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5-7-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 5th July 2017

NOTIFICATION

No. F 7-40/2016/32.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 read with sub-section (1) of Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

- In rule 23, for the words “remain valid upto one year”, the words “remain valid upto three years” shall be substituted.
- In rule 49, in sub-rule (1), in Table 4, for serial number 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2.	Health facilities	Health Centre	1 for every 16000 population	1.0 hectare with residential staff quarters.
		General Hospital	1 for every 80000 population	4.0 hectare for 200 beds with ancillaries and staff quarters.
		Specialized Hospital	1 for every 4000 population	1.0 hectare

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Nursing Home	1 for every 16000 population	0.06 hectare
		Clinic	1 for every 1000 population	0.0018 hectare"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.